[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।। खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

**भारत सरकार**
**वित्त मंत्रालय**
**(राजस्व विभाग)**

**अधिसूचना सं. 23/2015-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै)**

नई दिल्ली, दिनांक 30 अक्टूबर, 2015

सा. का. नि. (अ)- केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 19 के तहत, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एततद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 42/2001- केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.), दिनांक 26 जून, 2001, भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-।, उपखंड (i) में सा.का.नि. 471 (अ), दिनांक 26 जून 2001 के तहत प्रकाशित, में निम्नलिखित आगे और संशोधन करता है, यथा

1. उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 में, क्रमश: उक्त पैराग्राफ (ii) और (iii) के उपवाक्य (क) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक को अंत: स्थापित किया जाएगा, यथा

‘’ बशर्ते कि जहां कि माल ऐसी प्रकृति का है कि उसे किसी पैकेज या कंटेनर में सील बंद नहीं किया जा सकता है जैसे कि कोयला या अयस्क आदि, तो प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ऐसे माल को पैकेज या कंटेनर में सील बंद करने से, अनुमति में अपने द्वारा निर्धारित रक्षोपायों के अनुसार, छूट दे सकता है।

इन रक्षोपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें शामिल हैं:-

(i) उस स्थान पर जहां से कि ऐसे माल को हटाया/भेजा जा रहा हो और निर्यात पत्तन पर या विशेष आर्थिक जोन जहां कि माल को प्राप्त किया जा रहा हो, ऐसे माल की मात्रा और गुणवत्ता के सत्यापन, जहां भी जरूरी हो ऐसे माल के परीक्षण समेत, की विधि।

(ii) मार्ग में माल की होनेवाली क्षति के मामले में शुल्क में किसी छूट की अनुमति नहीं होगी।

(iii) ऐसी अनुमति मामले दर मामले के आधार पर दी जाएगी और एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगी तथा इसका दुरूपयोग होता है तो इसे किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।

(iv) अतिरिक्त रक्षोपाय यदि जरूरी हो तो भी निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

**[फा.सं. 96/108/2014-सीएक्स.1]**

संतोष कुमार मिश्रा
अवर सचिव, भारत सरकार

नोटः- मूल अधिसूचना सं. 42/2001-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.), दिनांक 26 जून, 2001 को सा.का.नि. 471(अ) दिनांक 26 जून, 2001 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।। खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 24/2010-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.), दिनांक 26 मई 2010, जिसे सा.का.नि. 449(अ), दिनांक 26 मई 2010 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।